ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/1613/2002/बीकानेर हसंराज बनाम मनफूलखां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य उपस्थितः– श्रीमति ज्योति पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी। –– निर्णय दिनांक 29–01–20 यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा अपील सं0 14/2001 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 13–03–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भीरूखीरा में कुल 55 बीघा में से 45 बीघा भूमि लक्ष्मीदेवी व प्रेमचंद के नाम से एवं 10 बीघा भूमि हसंराज के नाम से दर्ज थी। यह भूमि संयुक्त खाते में दर्ज थी। प्रेमचंद व लक्ष्मीदेवी के नाम से दर्ज 45 बीधा भूमि में से लक्ष्मीदेवी का 3/4 हिस्सा व प्रेमचंद के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज थी। लक्ष्मीदेवी ने अपने हिस्से की 3/4 भूमि 33 बीघा 10 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय बैयनामा दिनांक 09–02–99 को मनफूलखां को विक्रय कर दी, जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं0 50 दिनांक 05–03–94 तस्दीक किया गया एवं लक्ष्मीदेवी की जगह मनफूलखां का नाम अंकित किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) के न्यायालय में अपील पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 07–01–2000 द्वारा स्वीकार कर	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/1613/2002/बीकानेर हसंराज बनाम मनफूलखां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामान्तरकरण सं0 50 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 17-07-2001 द्वारा मनफुलखां को बैयनामें के हिस्से के अनुसार(समानान्तर रकबा शामिल खाते रखते हुए) नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अति0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में अपील पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13-03-2002 द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश किए गए थे, जिनमें इकरारनामा दिनांक 15-05-89 भी पेश किया गया था, जिसके अनुसार भूमि संयुक्त खाते की थी व नामान्तरकरण सं0 28 दिनांक 06-09-85 भी पेश किया गया तथा कई व्यक्तियों के बयान कब्जे के संबंध में थे एवं पानी की रसीदे भी थी, जिनको नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया, जो निरस्त किए जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क था कि विवादित भूमि सन् 1970 से प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि लक्ष्मीदेवी के पुत्र प्रेमचंद, जो लक्ष्मीदेवी का पॉवर आफ अर्टोनी था, जिसने वह इकरारनामा दिनांक 15-05-89 को हंसराज से किया था, ऐसी स्थिति में एक बार बेचान इकरारनामा प्रार्थी से कर दिया	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/1613/2002/बीकानेर हसंराज बनाम मनफूलखां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया था तो दूसरे को बेचान नहीं कर सकता था। उनका य भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने सहखातेदार की अविभाजित हिस्से का बंटवारा हुए बिना किसी निश्चित भू भाग का बेचान एवं कब्जा नहीं दिया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 1996 आर0आर0डी0 पेज 148 के न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः यह निगरानी खारिज की जावें। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वर्तमान प्रकरण अप्रार्थीया लक्ष्मीदेवी द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि में से अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी सं0 1 को विक्रय किए जाने संबंधी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोले गए नामान्तरकरण से संबंधित है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि उक्त बेचान संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन से पूर्व किया गया है, ऐसी स्थिति में इस आधार पर खोला गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है। यह तथ्य निर्विवाद है कि पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा जितनी भूमि का बेचान किया गया है, लक्ष्मीदेवी संयुक्त खातेदारी की भूमि में यह हिस्सा प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में हमारी सुविचारित राय में दोनो	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/1613/2002/बीकानेर हसंराज बनाम मनफूलखां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालयों ने हिस्से के बेचान को वैध मानते हुए नामान्तरकरण के संबंध में जो आदेश पारित किया है वह पूर्णतया विधिसम्मत् है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई न्यायिक दृष्टांत पेश नहीं कर सके है कि जिसके आधार पर संयुक्त कृषि भूमि में से किए गए हिस्से के बेचान को विधि विरूद्ध माना जा सके। निगरानी का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि वे क्षैत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त हो। प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य हमारे समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	